न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 08/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00023

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम. जयपुर	बनाम	1. श्रीमती ललीता पत्नि श्री कमलेश निवासी 345, चोखला, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा। श्री कमलेश पिता श्री अमरिंग निवासी 345, चोखला, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 07.08.2020

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी. सी.एम.जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्रीमती ललीता पत्नि श्री कमलेश निवासी 345, चोखला, तहसील बागीदौरा (ऋणी) 2– श्री कमलेश पिता श्री अमरिंग निवासी 345, चोखला, तहसील बागीदौरा (सह ऋणी) के खाते दिनांक 02–11–2019 तक कुल बकाया ऋण राशि 306108 रू. (तीन लाख छः हजार एक सौ आठ रूपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्री कमलेश पिता श्री अमरिंग की आवासीय सम्पत्ति जो ग्राम चोखला, ग्राम पंचायत चोखला, पंचायत समिति बागीदौरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, जिसका आराजी सर्वे नंबर 659/2855 हाउस नं. 345, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05–11–2019 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.08.31 10:48:57 IST
Reason: SelfAttested

संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को रु. 280000 ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा कराने समय चाहा गया। ऋणी को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी ऋण राशि जमा नही करवाई है। दिनांक 04.08.2020 को पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी/अप्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक तरफा बहस बताया गया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी को ऋण जमा कराने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है। किन्तु ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था/बैंक को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.08.31 10:48:57 IST
Reason: SelfAttested